(93) (205)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म.प्र.

विलोपित/विलोपित विलोपित/विलोपित विलोपित/विलोपित विलोपित/विलोपित

III/निग0/सतना/2017/2676 Rs-30/-

1. प्रेमानन्द पाण्डेय तनय स्व.श्री सच्चिदानंद पाण्डेय, उम्र-35 वर्ष

निवासी ग्राम मोहिदल खा, तह.रामपुर बाघेलान, जिला सतना

म.प्र. ----- निगरानीकर्ता

अधि0 श्री आदित्य त्रिपाठी 10.8.17 द्वारा पेश

बनाम

1. रामनिहोर तनय मंगल प्रसाद, उम्र-70 वर्ष
2. अन्नू देवी पत्नी लखमणि प्रसाद
3. गीता देवी पुत्री स्व. गिरजा प्रसाद
4. [illegible] देवी पुत्री स्व. गिरजा प्रसाद
5. सरला देवी पुत्री स्व. गिरजा प्रसाद
6. मैना देवी पुत्री स्व. गिरजा प्रसाद
7. कौशल्या देवी पुत्री स्व. गिरजा प्रसाद
8. रामधन तनय कौशल प्रसाद
9. गुड्डी पत्नी स्व. संतोष कुमार
10. बुलआ पुत्री स्व. संतोष कुमार
11. अखिलेश कुमार तनय पारसनाथ
12. रामप्रताप तनय अवध प्रसाद
13. रमाकान्त तनय श्री रामजन
14. रोहित तनय श्री हीरालाल
15. कु.मुन्नी बेवा श्री हीरालाल
16. सरोज कुमार पुत्री श्री हीरालाल
17. विनोद कुमार तनय श्री हीरालाल

प्रकाश पाण्डेय

...2

18· रामखेलावन तनय शिवलालक

19· [illegible] कुमारी बेवा सच्चिदानंद

20· पुल्ली पुत्री सुंदरलाल ब्रा·

सभी निवासी ग्राम मोहदल कला, तह·रामपुर बाघेलान जिला सतना म·प्र· ---- गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना म·प्र· प्रकरण क्रमांक 105/अपील/14-15 आदेश दि·29·7·2015

=====================================

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म·प्र· भू·रा·सं·

=====================================

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य

यह कि निगराकार प्रकाशचन्द्र पाण्डेय तनय श्री सच्चिदानंद [illegible] द्वारा तहसील न्यायालय मे /अधीक्षक भू-अभिलेख भू-प्रबंधन सतना के समक्ष धारा 178/109, 110 म·प्र·भू·रा·सं· के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत [illegible] था जिसमें कुल आवेदक गण के रूप में 27 लोगों को पक्षकार बनाया गया था। प्रकरण मे [illegible] इश्तहार व सम्मन का प्रकाशन हुआ [illegible] क, ख ने नामांतरण व बंटवारे मे चाही गई भूमियों का प्रकाशन हुआ [illegible] कुछ आवेदक गणों द्वारा उपस्थित होकर अपना जवाबदावा पेश किया गया तथा [illegible] आपत्ति न होना बताया गया। हल्का पटवारी से प्रतिवेदन [illegible] गया। पटवारी द्वारा विधिवत बंटवारा पुल्ली पेश की गई तदुपरांत [illegible] लेने के बाद [illegible] अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा दिनांक 12·8·11 [illegible] नामांतरण आदेश पारित किया गया तथा यह आदेश किया गया [illegible] गई पुल्ली बंटवारा [illegible] माना जाय। आदेशानुसार राजस्व अभिलेखों [illegible]

....3

प्रकाश पाण्डेय

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक III / निग0 / भू–रा0 / 2017 / 2676 जिला–सतना

प्रकाशचन्द्र पाण्डेय / रामनिहोर प्रसाद वगैरः

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आदित्य त्रिपाठी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील रामपुर बघेलान के प्रकरण क्रमांक 105 / अपील / 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 29.07.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 11.06.19 को कलेक्टर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	